न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 09/2025 तारीख रजू:— 17.06.2025

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. केशव पुत्र विरजू	जाति मीना निवासी मनेमा तहसील हिण्डौन
2. काडू पुत्र विरजू	जिला करौली राजस्थान
3. पप्पू पुत्र विरजू	———————————————— प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदारजी तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान ———— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट(पत्थरगढ़ी)

उपस्थित :— 1. श्री देवीसिंह एडवोकेट प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक :— 10.11.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्राथीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट (पत्थरगढ़ी) विरूद्ध अप्रार्थी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 104 रकवा 0.10 है0, 105 रकवा 0.10 है0, 106 रकवा 0.01 है0, 107 रकवा 0.51 है0, 117 रकवा 0.02 है0 कुल किता 5 कुल करवा 0.74 है0 स्थित ग्राम मनेमा तहसील हिण्डौन वादीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी है जिसकी हिस्सेदारी एवं बटवारे को लेकर खातेदारान् के मध्य आपस में आये दिन विवाद होता रहता है, उक्त आराजीयात का खातेदारान ने आपसी सहमति से मौके पर बाह्यमी बटवारा किया हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि प्रार्थीगण अपने हिस्से की खातेदारी को स्वयं ही काश्त करते चले आ रहे है, उक्त आराजीयात को लेकर पड़ौसियों से प्रार्थीगण का आये दिन विवाद होता रहता है, इसलिये भविष्य में उक्त आराजीयात को लेकर डौल–मेढ़ का विवाद उत्पन्न न हो इसलिये प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजीयात स्थित ग्राम मनेमा तहसील हिण्डौनसिटी की पत्थरगढ़ी जरिये हल्का पटवारी व गिरदावर कराना चाहते है जिससे खेत के पड़ोसियों से प्रार्थीगण के मधुर सम्बन्ध कायम रह सके एवं

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थीगण अपने खातेदारी के खेतों की सुरक्षा भी वैधानिक रूप से कर सके उक्त उद्देश्य की पूर्ति बाबत प्रार्थनापत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि आराजीयात वर्णित मद नम्बर 01 की खातेदार श्रीमती फाबूली पत्नी स्व0 विरजू फौत हो चुकी है जिसके कायम मुकामी वारिसान प्रार्थीगण है जो उसके तर्के पर काबिज व दखिल है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि वांका दिनांक 10.06.2025 को प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदारजी तहसील हिण्डौन से पत्थरगढी बाबत निवेदन किया तो श्रीमानजी ने सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने की हिदायत फरमायी है इसलिये प्रार्थनापत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र 128 लैण्ड रेवन्यु एक्ट के प्रावधानों के तहत पेश किया जा रहा हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 8 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजीयात खसरा नम्बर 104 रकवा 0.10 है0, 105 रकवा 0.10 है0, 106 रकवा 0.01 है0, 107 रकवा 0.51 है0, 117 रकवा 0.02 है0 कुल किता 5 कुल करवा 0.74 है0 स्थित ग्राम मनेमा तहसील हिण्डौन की पत्थरगढ़ी जरिये पुलिस प्रशासन थाना हिण्डौन मय पुलिस इमदाद करवाये जाने के आदेश प्रदान फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 15.09.2025 को अप्रार्थी बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

तहसीलदार हिण्डौन ने पत्र क्रमांक भू.अ.//2025/3513 दिनांक 16.09.2025 से उक्त प्रार्थना पत्र का बिन्दूबार जबाव पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि मुताबिक जमाबंदी संवत 2072–75 खाता सं. 22 ख.नं. 104 रकबा 0.10 है. ख.नं. 105 रकबा 0.10 है. ख.नं. 106 रकबा 0.01 है. 107 रकबा 0.51 है. ख.नं. 117 रकबा 0.02 है. कुल किता 5 रकबा 0.74 है. केशव पुत्र बिरजू हिस्सा 1/4, काडू पुत्र बिरजू हिस्सा 1/4, पप्पू पुत्र बिरजू हिस्सा 1/4, फ़ाबूली पत्नी स्व. बिरजू हिस्सा 1/4 जाति मीना सा. देह रिकॉर्ड दर्ज है ।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि बिंदु संख्या 2 स्वीकार है ।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 ता 8 में दर्ज किया है कि बिंदु संख्या 3 ता 8 क़ानूनी है ।

वकील प्रार्थीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2072–75, नकल नक्शा ट्रेस हाल नम्बरान, नकल फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 09.06.2025 ग्राम मनैमा तहसील हिण्डौन पेश किये हैं।

वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया । प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2072–75 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 104 रकवा 0.10 है0, 105 रकवा 0.10 है0, 106 रकवा 0.01 है0, 107 रकवा 0.51 है0, 117 रकवा 0.02 है0 कुल किता 5 कुल करवा 0.74 है0 स्थित ग्राम मनेमा तहसील हिण्डौन की खातेदारी केशव पुत्र विरजू हि0 1/4 जाति मीना सा0 ग्राम खातेदार राहिन यूको बैंक शाखा हिण्डौन सिटी, काडू पुत्र विरजू हि0 1/4 जाति मीना सा0 ग्राम खातेदार राहिन यूको बैंक शाखा हिण्डौन सिटी, पप्पू पुत्र विरजू हि0 1/4 जाति मीना सा0 ग्राम खातेदार राहिन यूको बैंक शाखा हिण्डौन सिटी, फाबूली पत्नि स्व0 विरजू हि0 1/4 जाति मीना सा0 ग्राम खातेदार राहिन यूको बैंक शाखा हिण्डौन सिटी के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 09.06.2025 ग्राम मनैमा तहसील हिण्डौन में अंकित किया है कि आज दिनांक 09.06.2025 को ग्राम मनैमा में केशव, काडू, पप्पू पि0 विरजू जाति मीना निवासी मनैमा के आराजी खसरा नम्बर 104 रकवा 0.10 है0, 105 रकवा 0.10 है0, 106 रकवा 0.01 है0, 107 रकवा 0.51 है0, 117 रकवा 0.02 है0 कुल रकबा 0.63 है0 के सीमाज्ञान हेतु मुताविक तहसीलदार महोद्य हिण्डौन के आदेश कमांक एल. आर./2021/1096 दिनांक 30.05.2025 की पालना में मौके पर पहुॅची। मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों काडू वगैराह उपस्थित मौजूद मिले। मुस्तकिल बिन्दूओं से फीता चलाकर एवं गुनिया से सीमाज्ञान कर चिन्हित किया गया। खसरा नम्बर 107 व पडौसी खसरा नम्बर 88 की मेड में मौके पर भिन्नता है। मौके पर उपस्थित मौतविरानों के समक्ष फर्द मौका तैयार कर पढकर सुनाया एवं हस्ताक्षर करवाये गये।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण विवादित आराजी खसरा नम्बर 104 रकवा 0.10 है0, 105 रकवा 0.10 है0, 106 रकवा 0.01 है0, 107 रकवा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

0.51 है0, 117 रकवा 0.02 है0 कुल किता 5 कुल करवा 0.74 है0 स्थित ग्राम मनेमा तहसील हिण्डौन के खातेदार काश्तकार है तथा अपनी खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 104 रकवा 0.10 है0, 105 रकवा 0.10 है0, 106 रकवा 0.01 है0, 107 रकवा 0.51 है0, 117 रकवा 0.02 है0 कुल किता 5 कुल करवा 0.74 है0 स्थित ग्राम मनेमा तहसील हिण्डौन का विधिवत रूप से पुनः सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इसलिए उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 104 रकवा 0.10 है0, 105 रकवा 0.10 है0, 106 रकवा 0.01 है0, 107 रकवा 0.51 है0, 117 रकवा 0.02 है0 कुल किता 5 कुल करवा 0.74 है0 स्थित ग्राम मनेमा तहसील हिण्डौन का पुनः सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार हिण्डौन को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराते समय यदि तहसीलदार हिण्डौन को यह अंदेशा हो कि मौंके पर आम शान्ति भंग हो सकती है तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार पुलिस जाप्ता की मांग कर सकता है। ऐसे हालात में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न्यायोचित है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट बाबत् करवाये जाने पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि आप मौके पर पहुॅचकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 104 रकवा 0.10 है0, 105 रकवा 0.10 है0, 106 रकवा 0.01 है0, 107 रकवा 0.51 है0, 117 रकवा 0.02 है0 कुल किता 5 कुल करवा 0.74 है0 स्थित ग्राम मनेमा तहसील हिण्डौन का मौके पर सीमाज्ञान करवाते हुए पत्थरगढी करावें। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की कार्यवाही करने से पूर्व तारीख एवं समय निशिचित करते हुए प्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने हेतु नोटिस जारी करें। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराते समय यदि तहसीलदार हिण्डौन को यह अंदेशा हो कि मौंके पर आम शान्ति भंग हो सकती है तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार पुलिस जाप्ता की मांग कर सकता है। प्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की नियमानुसार फीस तहसीलदार हिण्डौन के यहॉ 7 दिवस में जमा करावें। पालना रिपोर्ट तहसीलदार हिण्डौन एक माह में इस न्यायालय में पेश करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 10.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 10/11/25

उपखण्ड अधिकारी

हिण्डौन सिटी (करौली)

उपखण्ड अधिकारी

हिण्डौन जिला करौली